राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 1677/2015/जयपुर
2. अपील संख्या – 1678/2015/जयपुर
3. अपील संख्या – 1679/2015/जयपुर
4. अपील संख्या – 1680/2015/जयपुर

मैसर्स हिन्दुजा लीलैण्ड फाईनेंस लि0,
301, शालीमार कॉम्पलेक्स, एम.आई.रोड, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

1. अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर।
2. सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर। .....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28.03.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. इन सभी प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 07.08.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, संभाग–प्रथम प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जयपुर द्वारा किया गया। जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा ऋण किश्तें चुकाने में दोषी ऋणी ग्राहकों के वाहनों को कानूनी कार्यवाही पश्चात ऋणी ग्राहकों के नाम से पूर्व पंजीकृत वाहन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण व्यवहारी के स्वयं के नाम से परिवहन विभाग द्वारा करवाया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा नवीन पंजीकरण के लिए विहित फीस परिवहन विभाग में जमा कराई जाती है। इस प्रकार कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण स्वयं के नाम से करवाने पर पूर्ण स्वामित्व स्वयं व्यवहारी का हो जाता है। पूर्व पंजीकृत वाहनों का स्वामित्व स्वयं के नाम करवाने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में लिये गये वाहनों की बिक्री नीलामी/बोली के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता को की जाती है। इस प्रकार प्रयुक्त वाहनों का विक्रय नये ग्राहकों को किये जाने के फलस्वरूप उनकी बिक्री करयोग्य है। अपीलार्थी द्वारा

लगातार.....2

प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर वैट अदा नहीं किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। नियमानुसार उक्त अभियोग के साथ पत्रावली जांच अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी के यहां स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि व्यवहारी कम्पनी यूज्ड मोटर वाहन की बिक्री पर वर्ष **2006–07 से 2011–12** की अवधियों में मोटर व्हीकल दर से करदेयता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होते हुए निम्नतालिका अनुसार मांगें सृजित की। जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने विस्तृत आदेश दि. 21.09.2015 जारी किये, जिनके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धा. आदेश दि0	वित्तीय वर्ष	कर राशि	ब्याज राशि	शास्ति राशि
1677/15	324/अपी III/14–15	08.10.14	11–12	1,42,000	55,380	2,85,000
1678/15	325/अपी III/14–15	08.10.14	12–13	7,96,000	2,14,920	15,92,000
1679/15	326/अपी III/14–15	08.10.14	13–14	19,26,000	2,88,900	38,52,000
1680/15	327/अपी III/14–15	08.10.14	14–15	6,15,725	18,472	12,31,450

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कहा कि अपीलार्थी व्यवहारी बैकिंग नियामक अधिनियम 1949 के अन्तर्गत स्थापित एक बैंक है और अन्य बैकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्रदान करती है। उपभोक्ता द्वारा वाहन अपने नाम से क्रय किया जाता है। व्यवहारी द्वारा एक ऋण संविदा के तहत उपभोक्ता को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऋण की प्रतिभूति के रूप में व्यवहारी वाहन मालिक से वाहन को **'हाइपोथिकेट'** (Hypothicate) करता है। ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की किश्तों के भुगतान में दोषी हो जाता है तो व्यवहारी द्वारा अपने शेष ऋण की वसूली हेतु वाहन को अपने कब्जे में लेकर नीलामी/बोली के द्वारा बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अपीलार्थी कभी भी वाहन का स्वामी नहीं बनता और हाइपोथिकेट एग्रीमेन्ट के अनुसार व्यवहारी वाहन स्वामी की ओर से वाहन को बेचता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2(35) के तहत उक्त वाहनों की बिक्री विक्रय की परिभाषा में नहीं आती, क्योंकि वस्तु का स्थानान्तरण किसी भी प्रकार के नगद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये नहीं होता है। वाहन का विक्रय अपीलार्थी द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से इस प्रकार किया जाता है कि उसे वाहनों का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो तथा यह सभी संव्यवहार अपीलार्थी की नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है, जिस पर धारा 25/26 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही गैर कानूनी व विधिविरूद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी का उद्धेश्य इस कार्य हेतु लाभ कमाना नहीं है बल्कि ऋणी द्वारा वाहन पैटे जो ऋण लिया जाता है उसकी अदायगी समय पर नहीं करने पर ऋण की वसूली हेतु अपीलार्थी द्वारा विधिनुसार वाहन को जब्त कर उसको विक्रय कर ऋण की भरपायी की जाती है तथा विक्रय में यदि अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह राशि ऋणी को अदा कर दी जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी का विक्रय के पीछे उद्धेश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि

लगातार.....3

अपने ऋण की भरपायी करना है जो विक्रय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि उक्त पुराने वाहनों के विक्रय पर अपीलार्थी पर जो कर लगाया है उसकी कर बोर्ड द्वारा यदि पुष्टि की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो शास्ति लगायी गई है उसे माफ किया जावे क्योंकि उक्त वाहनों की बिक्री कर योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी तथा अपीलार्थी का आशय कर चोरी करने का नहीं था। ऐसी स्थिति में शास्ति को माफ किया जावे तथा आई.टी.सी. भी व्यवहारी को दिलवायी जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्लेज्डगुड्स की बिक्री नहीं की गई है ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त फेडरल बैंक लि0 बनाम केरला राज्य का कोई विपरीत निष्कर्ष अपीलार्थी के विरूद्ध नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै0 सुन्दरम फाईनेंस लि0 बनाम केरला राज्य के निर्णय में मोटर व्हीकल के ऋण में उसकी वसूली को विक्रय नहीं माना है। अतः अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जावे तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश कियेः–

1- State of Panjab v/s Bajaj Electricals (1970) 25 STC Page 82(SC)
2- G. Venkataswami Naidu v/s CIT (1959) 35 ITR 594 (SC)
3- M/s T.V.S. Finance Ltd. Tirupati v/s State of Andhra Pradesh TA No.948/08
4-N.S.S. Enterprises v/s The State of Punjab and Anr.(2010) 30 VST 244 Panjab& Hyryana
5-Xcell Automation v/s Government of Punjab& Anr (2007) 5 VST 308 (P&H)
6- Hindustan Steel Ltd. v/s State of Orissa (1970) AIR 253 (SC)
7- ABY Engineers and Consultains(p)Ltd.,v/sSales Tax Officer Orderdt.5.3.2010 (HEKERALA)
8-Associated Cement Compny Ltd. v/s CTO, Kota(1981) 48 STC 466(SC)
9-North Malabar District Co-operative Supply and Markting Society Ltd. v/s Asstt. Commissioner& Ors. (1998) 111 STC 271 (Kerla)

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की तथा विभाग के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आई.टी.सी. प्राप्त करने के बाबत जो नियम बने हुए है उसकी परिधि में अपीलार्थी नहीं आता है। अतः आई.टी.सी. स्वीकार नहीं की जा सकती तथा अपीलार्थी द्वारा कर की चोरी की गई है, इस कारण शास्ति आरोपित की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्थिक अपराध के मामलों में आपराधिक आशय नहीं देखा जाता है। कर अदा करने का दीवानी दायित्व अपीलार्थी का था लेकिन व्यवहारी ने कर की चोरी करने के आशय से कर योग्य बिक्री पर कर अदा नहीं कर, कर की चोरी की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दरम फाईनेंस लि0 में जो निर्णय दिया है उसके तथ्य अलग है इस कारण उसका फायदा अपीलार्थी को नहीं मिलता है, बल्कि मै0 फेडरल बैंक लि0 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है। अतः अपीलार्थी की अपीलें खारिज की जावें।

7. हमने दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, लिखित बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

लगातार.....4

8. उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 39 से 43/2014/जयपुर मैसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी लि. जयपुर बनाम सहायक आयुक्त निर्णय दिनांक 23.03.2017 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की अपीलें कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं एवं शास्ति के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की जाती है।

9. फलतः माननीय कर बोर्ड द्वारा ऐसे प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलों में कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है तथा शास्तियों के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

28.2.2017
(मदन लाल)
सदस्य